न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 97/2017 | दायर दिनाँक 25.04.2017

वादी		प्रतिवादीगण
1. लिछमणराम पुत्र रामुराम, आयु–55साल, जाति–जाट, निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. गोपालराम पुत्र धर्माराम, उम्र–80साल, 2. दुर्गाराम पुत्र धर्माराम, उम्र–75साल, 3. हेमन्त पुत्र भींवाराम, उम्र–40साल, 4. सुखीदेवी पत्नी भींवाराम, उम्र–60साल, 5. भागीरथ पुत्र स्वर्गीय मोहनराम, उम्र–40साल, 6. मंगाराम पुत्र स्वर्गीय मोहनराम, उम्र–35साल, 7. देवाराम पुत्र स्वर्गीय मोहनराम, उम्र–30साल, 8. शान्तिदेवी पुत्री स्वर्गीय मोहनराम, उम्र–45साल, 9. अनिता पुत्री प्रकाश, उम्र–15साल, 10. पूजा पुत्री प्रकाश, उम्र–11साल, प्रतिवादी संख्या–09 अनिता व प्रतिवादी संख्या–10 पूजा नाबालिगान् जरिये संरक्षक कुदरती वली पिता प्रकाश 11. भँवरीदेवी पत्नी मोहनाराम, उम्र–60साल, 12. श्राजुराम पुत्र भोलाराम, समस्त,जाति–जाट, निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Web Copy - Not

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 97 / 2017
दायर दिनाँक 25.04.2017, निर्णय दिनाँक 29.05.2018
लिछमणराम बनाम् गोपालराम, वगैरा।

–:: **निर्णय** ::–

दिनाँक **29.05.2018**

वाद का सारांश संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, शरहद मौजा कोलिया में खसरा नम्बर 1260 रकबा 04.10 बीघा वादी का व खेत खसरा नम्बर 1283 रकबा 0.01 बीघा, खेत खसरा नम्बर 1287 रकबा 16.06 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 तक की खातेदारी के व खेत खसरा नमबर 1259 रकबा 03.06 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 05 ता 11 तक की खातेदारी का व खेत खसरा नम्बर 2021 / 1259 रकबा 03.06 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 12 की खातेदारी का अवस्थित है। नकलें खतौनियों की पेश हैं।

प्रार्थना वादी है कि,

शरहद मौजा में कोलिया में खेत खसरा नम्बर 1260 रकबा 04.10 बीघा, खेत खसरा नम्बर 1259 रकबा 03.06 बीघा व खेत खसरा नम्बर 2021 / 1259 रकबा 03.06 बीघा, की घोषणा बहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 व 13 इस आशय की जारी की जावे कि वादी की खातेदारी व कब्जा की भूमि के किसी भाग स्थित कच्ची खाई व सीमांकन को खुर्द बुर्द करे और मौके पर स्थित इन खेतों के पूर्वी दिशा की ग्रेवल सड़क को इन खेतों की भूमि में से स्थानान्तरित न करे और न ही ऐसा किसी ऐजेन्ट या प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति से करावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 13 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने वाद के समर्थन में, शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 ग्राम कोलिया खेवट संख्या 112 / 100, 448 / 409, 576 / 534 व 423 / 384 की प्रमाणित प्रतिलिपि, पेश की है।

न्याय आपके द्वार, 2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प–**कोलिया** में पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 उपस्थित। पक्षकारान् को सुना गया। उपस्थित पक्षकारान् ने निवेदन किया कि, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता का सीमाज्ञान करवाकर उसके अनुसार रास्ता रखा जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वादी ने भी कटाणी रास्ता अनुसार ही रास्ता

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

रखा जाने हेतु वाद पेश कर रखा है। मिसल पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पक्षकारान् की इस्तदुआ पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

मजमें आम में वाद के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी जिसमें कटाणी रास्ता अनुसार सड़क का नाप किया सड़क का निर्माण किया जाना न्यायालय क`मत में उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी, डिक्री किया जाता है।

–:: **आदेश** ::–

हस्ब दावा शरहद मौजा कोलिया में खसरा नम्बर 1260 रकबा 04.10 बीघा व खेत खसरा नम्बर 1259 रकबा 03.06 बीघा तथा खेत खसरा नम्बर 2021/1259 रकबा 03.06 बीघा भूमि बाबत्, प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि, कटाणी रास्ते की भूमि का सीमाज्ञान कर, कटाणी रास्ते की भूमि पर ही सड़क का निर्माण करे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे वादी की भूमि पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–कोलिया

निर्णय, आज दिनाँक **29.05.2018** को सरे कोर्ट कैम्प में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–कोलिया

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
—:: न्याय आपके द्वार,2018: राजस्व कोर्ट कैम्प ::—
बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **97/2017** दायर दिनाँक **25.04.2017**

वादी		प्रतिवादीगण
1. लिछमणराम पुत्र रामुराम, आयु—55साल, जाति—जाट, निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. गोपालराम पुत्र धर्माराम, उम्र—80साल, 2. दुर्गाराम पुत्र धर्माराम, उम्र—75साल, 3. हेमन्त पुत्र भींवाराम, उम्र—40साल, 4. सुखीदेवी पत्नी भींवाराम, उम्र—60साल, 5. भागीरथ पुत्र स्वर्गीय मोहनराम, उम्र—40साल, 6. मंगाराम पुत्र स्वर्गीय मोहनराम, उम्र—35साल, 7. देवाराम पुत्र स्वर्गीय मोहनराम, उम्र—30साल, 8. शान्तिदेवी पुत्री स्वर्गीय मोहनराम, उम्र—45साल, 9. अनिता पुत्री प्रकाश, उम्र—15साल, 10. पूजा पुत्री प्रकाश, उम्र—11साल, प्रतिवादी संख्या—09 अनिता व प्रतिवादी संख्या—10 पूजा नाबालिगान् जरिये संरक्षक कुदरती वली पिता प्रकाश 11. भँवरीदेवी पत्नी मोहनाराम, उम्र—60साल, 12. श्राजुराम पुत्र भोलाराम, समस्त,जाति—जाट, निवासी—कोलिया, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 13. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

दिनाँक **29.05.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई **प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02** ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि,

हस्ब दावा शरहद मौजा कोलिया में खसरा नम्बर 1260 रकबा 04.10 बीघा व खेत खसरा नम्बर 1259 रकबा 03.06 बीघा तथा खेत खसरा नम्बर 2021/1259 रकबा 03.06 बीघा भूमि बाबत्, प्रतिवादीगण को निर्देशित किया जाता है कि, कटाणी रास्ते की भूमि का सीमाज्ञान कर, कटाणी रास्ते की भूमि पर ही सड़क का निर्माण करे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे वादी की भूमि पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत............. ....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **29.05.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–कोलिया

सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प		
स्टाम्प			वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह	–		महनताना वकील		
सबूत	–		खर्चा गवाहान		
महनताना			फिस कमिश्नर		
वकील			बाबत इजराय		
खर्चा गवाहान			हुक्मनामा		
फिस कमिश्नर			मुतफर्रिक		
बाबत इजराय					
हुक्मनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–कोलिया

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

न्याय आपके द्वार,2018 : राजस्व कोर्ट कैम्प

क्रमांकः–97–2017 / रीडर / 2018 / दिनाँक 29.05.2018

प्रेषितिः–

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः –निर्णय की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. लिछमणराम पुत्र रामुराम, आयु–55साल, जाति–जाट, निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम	1. गोपालराम पुत्र धर्माराम, उम्र–80साल, जाति–जाट, निवासी–कोलिया, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, वगैरा।

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित निर्णय की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर, पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–कोलिया

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner